

22.10.18 पत्रावली अंक

पत्रावली

श्रीमान

राजस्थान

वकील

पत्रावली

22-10-18

*[Signature]*

22.10.18 पत्रावली पेश हुई।

वकील उभय पक्ष उपर/ मूल अपील में दोनों पक्षकारों द्वारा लगभग (राजिनामा) प्रस्तुत कर मूल अपील को विह्वल करने के लिए स्वगत अर्चना पत्र का कोई दायित्व नहीं रह जाता है। अतः स्वगत अर्चना पत्र लम्बत के फल होकर दाखिल दफ्तर है।

*[Signature]*